

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 151/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/257)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी 19 ओ जरिए मुखत्यारेआम सुखविन्द्र सिंह पुत्र गुरचरण सिंह जाति जटसिख निवासी 19 ओ तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 08.08.2024

उपस्थित: 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 04.09.2024

- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/10 व खाता संख्या 28/24 में वादी का नाम छिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह दर्ज है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/10 व खाता संख्या 28/24 में वादी के अंकित नाम छिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह के स्थान पर शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
- वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 2694 दिनांक 20.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि वादी का नाम शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह है। उक्त नाम से व्यक्ति को जाना व पहचाना जाता है।
- बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/10 की प्रति, राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 28/24 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भूअ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/10 व खाता संख्या 28/24 में वादी के अंकित नाम छिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह के स्थान पर शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह दर्ज करवाने वाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति में नाम शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि वादी का नाम शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह है। उक्त नाम से व्यक्ति को जाना व पहचाना जाता है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भूअ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/10 व खाता संख्या 28/24 में वादी के अंकित नाम छिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह के स्थान पर शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

[शयोराम (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपमुख्य अधिकारी  
उपमुख्य अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर, श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

[शयोराम (आर.ए.एस.)]

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपमुख्य अधिकारी  
उपमुख्य अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर, श्रीगंगानगर

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाक्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

शिन्दा सिंह वनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआगएक्ट

मुकदमा नम्बर 151/2024

निर्णय दिनांक :- 04.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजु उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धाग 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 19 ओ, पटवार हल्का 15 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावर्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 26/10 व खाता संख्या 28/24 में वादी के अंकित नाम छिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह के स्थान पर शिन्दा सिंह पुत्र जंगीर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 04.09.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 04.09.2024

क्रमांक: रीडर/2024/502

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी राजस्व  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर